

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/114/2018

प्रवेश तिथि

26-06-2018

निर्णय दिनांक

24-07-2019

01- सुभान पुत्र श्री मेदी जाति नाई निवासी ग्राम साहडोली तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।
-अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

-रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ

दिनांक 10.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 152/2017

उपस्थित:-

01-श्री अमरसिंह यादव

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 10.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम साहडोली की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 910 रकबा 1.26 हे० में से 0.70 हे० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्दे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम साहडोली की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 910 रकबा 1.26 हे० में से 0.70 हे० अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 04.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को परयातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 25.06.2018 को पेश किया। जो करीब 1 साल 3 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.06.2018 को कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकनील दाखिल दफतर की जावे।



निर्णय दिनांक 24.07.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)